given below :—

S. No.	Name of the Foreign Bank	Centre at which opened	Date of opening
1.	Hongkong Bank	Bangalore	1-09-1992
2.	American Express Bank	Madras	16-11-1992
3.	British Bank of Middle East	Trivandrum	18-08-1993
4.	Societe Generale	New Delhi	15-09-1993
5.	Credit Lyonnais	—do—	20-12-1993
6.	Oman Int. Bank	Cochin	3-01-1994

(b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Reserve Bank of India (RBI) have no information with regard to any such violation.

(d) to (g): RBI have not issued any directives/instructions to the banks with regard to maintenance of minimum balance in savings bank accounts. However, some of the foreign banks have raised the minimum balance in the savings bank account, taking into account various factors like the cost of servicing the account, average balance held therein etc.

बैंक ऋणों के चूककर्ता

5482. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची तैयार कर प्रकाशित करने का विचार कर रहा है जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से एक करोड़ रुपये या इससे अधिक की राशि उधार ली है तथा उसका निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अंतिम रूप से कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय लेने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि निर्णय ले लिया गया है तो मार्च 1994 के अंत तक ऐसे चूककर्ताओं की सूची कब तक प्रकाशित की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने एक करोड़ रुपये और उससे अधिक रकम वाले बाद दाखिल खातों से संबंधित चूककर्ताओं के बारे में जानकारी हासिल करने और उसका प्रसार करने के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही मार्गनिर्देश जारी कर दिये गये हैं। इन मार्गनिदेशों के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्तूबर की 15 तारीख तक, उन ऋण खातों से संबंधित विवरण भेज दें जिन्हें संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिनमें कुल मिलाकर एक करोड़ रुपये की और उससे अधिक बकाया रकम की हानि और बाद दाखिल हों और ऐसे विवरणों में क्रमश: 31 मार्च और 30 सितम्बर तक की स्थिति दिखायी जानी चाहिए। अलबत्ता, उक्त जानकारी से युक्त पहला विवरण भारतीय रिजर्व बैंक के पास, मई, 1994 के अंत तक भेजने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रकार एकत्र की गयी सूचना के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रत्येक वर्ष एक पुस्तिका के रूप में बाद दाखिल खातों की सूची तथा समाप्ती रूप से उसकी अद्यतन स्थिति प्रकाशित करेगा। इस तरह समेकित की गयी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को भेजी जायेगी जो वर्तमान तथा नये ग्राहकों द्वारा नयी अथवा अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिये किये गये अनुरोधों पर गुण-दोषों के आधार पर विचार करते समय, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

Fraud in Bank of India in the New York

5483. **SHRI MATANG SINGH :**
SHRI SUSHIL KUMAR :
SAMBHAJIRAO SHINDE :
SHRI RAJNI RANJAN SAHU :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether a fraud involving over Rs. 28